अनवरत विकास और जलवायु परिवर्तन

12
अध्याय

वर्ष 2012 को पर्यावरण एवं अनवरत विकास के क्षेत्र में की गई पहल की दृष्टि से विवादास्पद रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जून, 2012 में रियो जहां 1992 में हुए महत्वपूर्ण प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनायी गयी, में अनवरत विकास पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वैश्विक समुदाय एकजुट हुए। सम्मेलन ने अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की; कार्यान्वयन में आयी बाधाओं का पता लगाया तथा नई एवं उभर रही चुनौतियों का अंदाजा लगाया जिसके फलस्वरूप 'वो भविष्य जो हम चाहते हैं' नाम का राजनैतिक परिणाम सामने आया। भारत में 12वीं पंचवर्षीय की शुरूआत अनवरत वृद्धि को केन्द्र में रखकर की गयी। इसके साथ-साथ अनवरत विकास की नीतियों एवं कार्यक्रमों जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं द्वारा हमारे देश के नागरिकों एवं समूचे विश्व में यह संदेश जाता है कि भारत अनवरत विकास एवं इसके तीन आयामों-सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय के प्रति भी उतना ही प्रतिबद्ध है। एक वैश्विक तुलनात्मक मत सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि भारत तथा वास्तव में सभी देश अनवरत विकास एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति सजग एवं चिंतित हुए हैं। फिर भी, आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए संसाधन की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने के संदर्भ में चुनौतियां भी विकट हैं। जनता के बीच वाद-विवाद में जलवायु विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान देना सही है। जहां जलवायु विज्ञान अनिश्चितताओं का सामना कर रहा है वहां विश्व और अधिक संख्या में परमसंकट से जूझ रहा है। अब कुछ करने की भावना को इस तरह से महसूस किया जा रहा जैसा आज तक नहीं किया गया था। इसके विपरीत, यद्यपि दिसम्बर, 2012 में जलवायु परिवर्तन पर दोहा गेटवे पर यह सुनिश्चित किया गया कि उत्सर्जन घटाने हेतु बहुपाक्षिक एवं नियम आधारित कवायद जारी रखी जाएगी तथापि विकसित देशों की पार्टियों द्वारा ली गई उत्सर्जन शपथ में निष्ठा का अभाव था। अभी, अंतर्सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) की पांचवीं आकलन रिपोर्ट पूरी होने के अंतिम चरण पर है। परमसंकट की बढ़ती घटनाओं तथा नागरिकों की बढ़ती मांग को देखते हुए विश्व के पास विकसित हो रहे विज्ञान की आवाज को सुनने तथा बोझ को समान एवं उचित रूप से बांटे जाने के बहुपक्षीयवाद के सिद्धांत की रणनीति एवं नीति से उचित तरीके से उसका उत्तर देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

भूमिका

12.2 गत वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में अनवरत विकास और जलवायु परिवर्तन को पहली बार एक अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया। देश एवं विदेश में मौसम की भयानक घटनाओं के साथ ये विषय समाचार की सुर्खियों में रहे। देश एवं विदेश में 'क्या किया जाए' इस पर सर्वसम्मति बनाने हेतु प्रयासों में तेज़ी आयी हालांकि कई जगह पर अवरोध एवं कठिनाइयां भी आयी। 2012 में विज्ञान एवं प्रकृति ने तत्काल कुछ किए जाने की आवश्यकता जतायी। इसके बावजूद संगत आंकड़े कुछ मिलीजुली-सी कहानी बताते हैं– यह विज्ञान को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं किन्तु संबंधित बहुपक्षीय कार्रवाई को न क बराबर दिखाते हैं जो इस क्षेत्र में बहुत कुछ करे जाने की ओर इशारा करता है।

12.3 नीति बनाने वालों विशेष रूप से विकासशील देशों में नीति बनाने वालों के लिए निर्धनता एवं भूख की समस्या के साथ-साथ अनिश्चित मौसम, प्राकृतिक आपदा का अस्थिर मिश्रण एवं स्वच्छ वायु, जल एवं ऊर्जा उपलब्ध कराए जाने का बड़ा दबाव

चिंता का एक बड़ा विषय बना हुआ है। वैश्विक स्तर पर 2012 में तीन उच्च स्तरीय घटनाओं के साथ वैश्विक एवं घरेलू दोनों प्रकार से 'प्रगतिशील बल का निर्माण' तथा देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया। रियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे रियो + 20 के रूप माना जाता है, ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनायी, जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी) की पार्टी सम्मेलन (सीओपी 11) का 11वां सत्र भारत के हैदराबाद में आयोजित हुआ था तथा वर्ष का समापन दिसम्बर माह में दोहा में हुए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के सीओपी के 18वें सत्र के आयोजन से हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संतुलित तरीके से हुआ यानि कि निष्ठा में कमी के होते हुए भी प्रयास में आगे बढ़े। देश में हमने 12वीं पंचवर्षीय योजना को एक 'त्वरित, अधिक समावेशित एवं अधिक अनवरत वृद्धि' प्रक्रिया के स्पष्ट मूल विषय के साथ शुरू किया। यह पहली बार था कि किसी पंचवर्षीय योजना का केन्द्र बिन्दु अनवरतता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को बल देने वाली कमतर कार्बन वृद्धि रणनीतियों को रेखांकित किया (बॉक्स 12.1)। इसके अतिरिक्त हाल ही में की गई एक पहल जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) की राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहलों को क्षेत्रीय, सामाजिक-आर्थिक एवं पारिस्थितिकीय स्थितियों के अनुरूप लाएगी। एसएपीसीसी का राज्यों हेतु कार्यक्रम योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया जाना अपेक्षित है। (बॉक्स 12.2)। इन सभी विकास कार्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अनवरत विकास एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

12.4 विश्व की जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दरों में निरन्तर गिरावट के साथ 7 अरब के पार पहुंच गयी। संसाधन के अधिक मांग के साथ शहरीकरण जारी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) का अध्ययन 'हमारे बदलते पर्यावरण पर नजर रखना: रियो से रियो+20 (1992-2012)' बताता है कि अनवरतता तथा पर्यावरण के स्तर पर आज विश्व की सामूहिक रूप से क्या स्थिति है। इस अध्ययन के अनुसार वैश्विक सकल विकास उत्पाद (जीडीपी) तथा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) दोनों प्रति वर्ष 2.5% की दर से बढ़े और बढ़ रहे है किन्तु क्षेत्रों के बीच भिन्नता एवं असमानता अभी भी विद्यमान है। अध्ययन कृषि, जल, मत्स्य एवं भूमि संसाधनों पर बढ़ते दबाव पर ध्यान आकृष्ट करता है। प्राकृतिक संसाधन सामग्री के प्रति व्यक्ति वैश्विक इस्तेमाल में प्रदर्शित प्राकृतिक संसाधन पर दबाव 1992 से 2005 के बीच लगभग 27% बढ़ा है हालांकि आउटपुट की प्रति इकाई पर उत्सर्जन एवं ऊर्जा तथा सामग्री इस्तेमाल में गिरावट आयी है जो क्षमता स्तर में सुधार की ओर इंगित करता

बॉक्स 12.1 : अनवरत विकास एवं कमतर कार्बन रणनीति हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना

12वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति सम्मिलित एवं अनवरत वृद्धि के साथ जलवायु कार्य के महत्वपूर्ण (सह-लाभों) की ओर इशारा करती है। कम आय वाले एक बड़े जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन प्रयासों के साथ इस बोझ को देशों के बीच उनकी उत्सर्जन की ऐतिहासिक उत्तरदायित्वों को देखते हुए समान एवं उचित रूप से बांटा जाता है। इन मुद्दों पर यूएनएफसीसीसी में चर्चा की जा रही है।

कमतर कार्बन वृद्धि रणनीति के तहत भारत का स्पष्ट रूप से यह मानना है कि नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्मिलित किन्तु अलग-अलग होना चाहिए ताकि नीति को कार्यान्वित किए जाने की लेन-देन लागत को कम किया जा सके तथा बोझ को राष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से बांटे जाने के तंत्र का अनुसरण किया जा सके। कम कार्बन रणनीति पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समूह ने कार्बन का न्यूनीकरण करनेवाले प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु कमतर कार्बन रणनीतियों को रेखांकित किया है–

(i) **विद्युत:** आपूर्ति पक्ष में, कोयला-आधारित उष्मा-विद्युत संयंत्रों में अति-संकटकालीन प्रौद्योगिकी को अपनाइए, संयुक्त उष्मा एवं विद्युत संयंत्रों में गैस का इस्तेमाल करें, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी में निवेश करें; तथा जलविद्युत का विकास अनवरत तरीके से करिए। मांग पक्ष में, बाजार एवं विनियामक तंत्रों के माध्यम से अति-सक्षम इलैक्ट्रिकल उपकरणों के इस्तेमाल में तेजी लाए; बेहतर तकनीक वाले कृषि पम्पसेट एवं औद्योगिक उपकरणों की क्षमता को बढ़ाएं; तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षति को विश्व के औसत स्तर पर लाने हेतु प्रेषण एवं वितरण को आधुनिक बनाएं; बिजली सभी को उपलब्ध कराएं; तथा विद्युत-क्षेत्र के सुधारों में तेजी लाएं।

(ii) **परिवहन:** कुल माल परिवहन में रेल की भागीदारी को बढ़ाएं; रेल माल परिवहन की क्षमता में सुधार लाएं; माल एवं सवारी परिवहन के बीच क्रॉस-सब्सिडाइज़ेशन के स्तर को कम करके इसे मूल्य प्रतियोगी बनाएं; समर्पित रेल कॉरीडोर को पूरा करें; सार्वजनिक परिवहन तंत्र की भागीदारी एवं क्षमता में सुधार लाएं; तथा बाजार-आधारित एवं विनियामक तंत्रों दोनों के माध्यम से ईंधन की क्षमता में सुधार लाएं।

(iii) **उद्योग:** लोहा एवं इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों के ग्रीनफील्ड संयंत्रों को उपलब्ध उत्तम प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए; मौजूदा संयंत्रों विशेषकर लघु एवं मध्यम संयंत्रों को आधुनिक बनाना चाहिए तथा पारदर्शी वित्तीय तंत्र के साथ ग्रीन प्रौद्योगिकी को तीव्र गति से अपनाना चाहिए।

(iv) **भवन:** सरकार के सभी स्तरों पर ग्रीन बिल्डिंग कोड्स को लाया एवं संस्थापित किया जाना चाहिए।

(v) **वन खंड:** कम से कम 4 करोड़ हेऑफ विकृत वन के का पुन' विकास करने हेतु 'ग्रीन इंडिया अभियान'; 2 करोड हेऑफ औसतन सघन वन पर वन की सघनता को बढ़ाना तथा 10 करोड़ हेऑफ वन, बंजर एवं सामुदायिक भूमि पर वन की सघनता एवं पेड़ लगाए जाने को समग्र रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

बॉक्स 12.2 : एसएपीसीसी

एनएपीसीसी के आरंभ के साथ कार्य के राष्ट्रीय कार्यक्रमों तथा अलग-अलग सामाजिक-आर्थिक एवं पारिस्थितकीय स्थितियों वाले क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर के बीच सामंजस्य बिठाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। 18 अगस्त, 2009 को संपन्न हुए पर्यावरण राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों से एसएपीसीसी तैयार करने का अनुरोध किया। राज्य कार्य योजना ने उपशमन/अनुकूलन रणनीतियों को सूत्रबद्ध करने हेतु राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज से प्रेरणा ली। अभी तक 21 राज्यों द्वारा एसएपीसीसी पर दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं जो प्रादेशिक शाखाकरण के साथ क्षेत्र-केन्द्रित हैं। राज्य कार्य योजना में रणनीतियां तथा संभव क्षेत्रीय कार्यों की एक सूची शामिल है जो राज्यों की उनके अनुकूलन एवं उपशमन उद्देश्यों की पूर्ति में मदद करेगी। वह एक सूत्र जो इन राज्य योजना को आपस में बांधे रखता है, वह जलवायु परिवर्तन, उप-राष्ट्रीय योजना, दोषपूर्ण अनुमान हेतु क्षमता-निर्माण के प्रति क्षेत्रीय सोच का सिद्धांत तथा राज्य प्राथमिकताओं के आधार पर निवेश के अवसरों की पहचान करना है। यह रूपरेखा एसएपीसीसी को तैयार करने हेतु एक व्यापक, व्यवस्थित एवं चरण-वार प्रक्रिया का प्रावधान करती है तथा भागीदारी की भावना को बल देती है ताकि राज्यों का प्रक्रिया एवं अंतिम योजना पर पर्याप्त स्वामित्व हो। कृषि, जल, वन, तटीय क्षेत्र तथा स्वास्थ्य के प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके लिए अनुकूलन रणनीतियों पर विचार किया गया है।

है। इसी समय वैश्विक हरित गृह गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में निरन्तर वृद्धि हुई है। (चित्र 12.1)। 1990 से 2005 के बीच Co2 समकक्षों (CO2e) में मापे गए जीएचजी उत्सर्जन में 25.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (विश्व संसाधन संस्थान)। भारत के संदर्भ में जब अनवरत विकास के तीन स्तंभों पर आंकड़ों को विश्व एवं न्यूनतम विकसित देशों (एलडीसी) के साथ तुलना करने पर भी ऐसे मिली-जुली प्रवृत्तियों का खुलासा हुआ (बॉक्स 12.3 में चार्टों का पैनल) चित्र 12.1 MtCO2 समकक्ष में वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन

12.5 पर्यावरण की स्थिति की मिश्रित प्रवृत्ति के विरूद्ध वैश्विक प्रयासों की सकारात्मक एवं वृद्धिरत प्रवृत्तियां लड़ रही है। 2011 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक निवेश 17% से 257$ अरब बढ़ गया जोकि एक रिकॉर्ड था। 2011 में जोड़ी गई नई क्षमता के संदर्भ में नवीकरणीय विद्युत (बड़े हाइड्रो के अलावा) विश्व भर में जोड़ी गई कुल नई उत्पादन क्षमता 44% थी जोकि 2010 में 34% थी (फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनैन्स एंड मैनेजमेंट के नवीकरणीय ऊर्जा निवेश में वैश्विक वृत्तियां, 2012 प्रकाशन के अनुसार) 215 वैश्विक नीति वास्तुकारिता के पद हेतु वैश्विक समुदाय अब अनवरत विकास लक्ष्यो (एसडीजी) पर कार्य कर रहा है जोकि संभवत: मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के साथ स्वीकृत किया जाएगा। इसके साथ साथ गत दशक के दरम्यान विश्व ने अनेक नए पर्यावरणीय करार किए है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र साथ-साथ आगे आ रहे है। तथापि, पर्यावरणीय प्रयोजनों को समर्पित बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय फंडिंग में उतार-चढ़ाव आए तथा काफी हद तक वह अपने वादों को पूरा नहीं कर पायी।

भारतीय संदर्भ में अनवरत विकास एवं जलवायु परिवर्तन

12.6 विगत दो दशकों में भारत की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों और अधिक प्रबल हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रलय (एमओईएफ) द्वारा पर्यावरण व्यवस्था की रिपोर्ट में भारत द्वारा मुद्दों को भारत द्वारा सामना की गई पांच प्रमुख चुनौतियों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जो जलवायु परिवर्तन (बॉक्स 12.3), खाद्य सुरक्षा,

चित्र 12.1: वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन

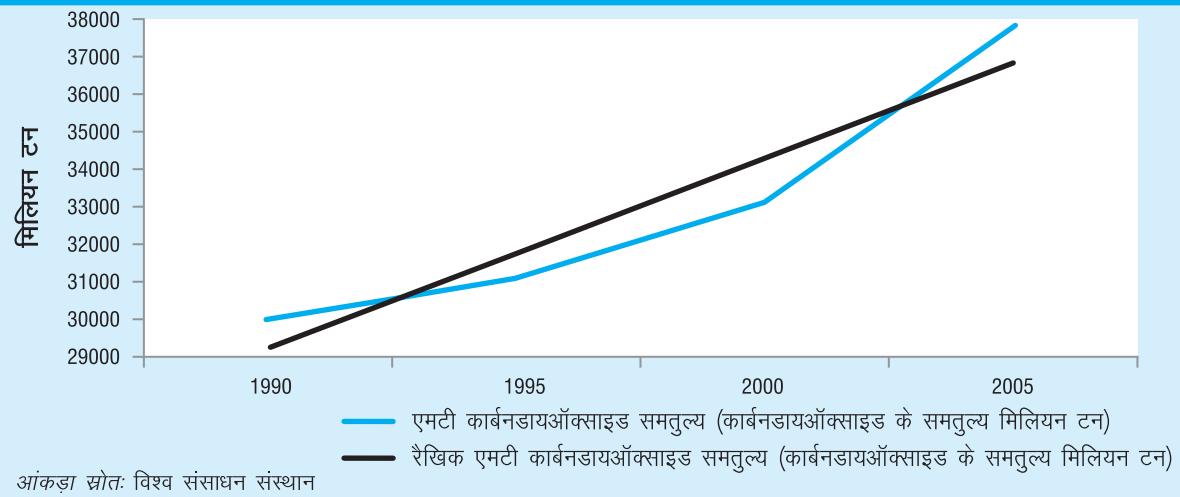

आंकड़ा स्रोत: विश्व संसाधन संस्थान

बॉक्स : 12.3 एक दृष्टि में जलवायु परितर्वतन को समझना

औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवजनित क्रियाकलापों ने वातावरण में जीएचजी की मात्रा में काफी वृद्धि की है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक नकारात्मक बाहरी परिणाम हैं जो वातावरण में हरितगृह गैसो (जीएचजी) के उत्सर्जन से होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभावों में औसत वैश्विक तापमान का बढ़ना, हिम नदों का पिघलना, वृष्टिपात में परिवर्तन तथा समुद्री तापमान में वृद्धि के फलस्वरूप समुद्री स्तर का बढ़ना शामिल है। जलवायु परितर्वन के साथ बाढ़ एवं सूखे जैसे परमसंकट वाली आपदाओं के प्रकार, आवृति एवं तीव्रता में वृद्धि होनी अपेक्षित है। जलवायु परिवर्तन की समस्या के सामधान जहां एक ओर हरितगृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना शामिल है वहीं दूसरी ओर जलवायु परितर्वन के प्रतिकूल असर से लड़ने के लिए अनुकूलन क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। एक विकासशील देश की दृष्टि से अनुकूलन सर्वाधिक महत्व रखता है क्योंकि वही लोग हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रतिकूल असर पड़ता है।

'ग्लोबल वार्मिंग' के लिए जिम्मेदार हरितगृह गैसें दोनों प्रकार की यानि अल्पायु एवं दीर्घायु होती हैं। ये वातावरण में कुछ घंटों एवं हफ्तों से लेकर कई सौ सालों तक रह सकती हैं। ये उत्सर्जन ऐसे होते हैं जो पर्यावरणवरण को बाद में हानि पहुंचाते हैं। हरितगृह गैसों के एक टन के बढ़ते हुए प्रभाव का इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वह कहां उत्सर्जित हुई हैं। इन उत्सर्जनों की कीमत मौजूदा एवं भावी दोनों पीढ़ियों द्वारा चुकायी जानी है जो कि इन उर्त्सजनों के उत्सर्जकों से पूरी तरीके से वसूल नहीं की जाती है। इसलिए जरूरी है कि वैश्विक रूप से समन्वित नीतिगत कार्रवाई तथा जलवायु परिवर्तन पर बातचीन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवायद शुरू की जाए।

1992 में संस्थापित यूएनएफसीसी, हालांकि एक वैश्विक संस्था है फिर भी वह पक्षों की प्रतिबद्धताओं/जिम्मेदारियों में उनकी क्षमताओं, आर्थिक स्वरूप, ऐतिहासिक उत्तरदायित्वों तथा 'समता' के सिद्धांत एवं सीबीडीआर, जो कि जलवायु परिवर्तन वाद-विवाद का मुख्य बिन्दु है, के आधार पर भेदभाव करती है। हरितगृह गैसों के वर्तमान एवं ऐतिहासिक वैश्विक उत्सर्जनों का बड़ा हिस्सा विकसित देशों का होता है। वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या का श्रेय वर्तमान हरितगृह गैस उत्सर्जन को ने देकर बल्कि ऐतिहासिक हरितगृह उत्सर्जन के भण्डार को देते हैं। अधिकतर देश खासकर विकसित देश सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं तथा एतिहासिक रूप से भी सर्वाधिक जिम्मेदार रहे हैं। अत: सम्मेलन विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मदारियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रतिबद्धताओं के प्रति कानूनी रूप से बाध्यता का प्रावधान करता है तथा विकासशील देशों के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, जिसमें प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी शामिल है, के लिए विकसित देशों में बराबरी से जिम्मेदारी सौंपता है। सम्मेलन इस बात की भी पृष्टि करता है कि विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में की गई कार्रवाई उन्हें उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर आपातिक है।

जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं शहरीकरण प्रबंधन है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक परिस्थितिकी को प्रभावित करता है तथा भारत में इसके प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है जिसमें विशेषकर कृषि क्षेत्र, जिस पर देश की 58 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए आश्रित है, हिमालय ग्लेशियरों के जल भण्डार जो प्रमुख नदियों एवं भूमिगत जल के पुनर्संचय का स्रोत है, समुद्र-स्तर में वृद्धि; तथा लम्बी तटीयरेखा एवं प्राकृतिक वास। जलवायु परिवर्तन से तूफान, बाढ़ एवं सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बार-बार आएगी। इन सबके फलस्वरूप भारत की खाद्य सुरक्षा एवं जल सुरक्षा की समस्या पर असर पड़ेगा। भारत द्वारा यूएनएफसीसी को प्रस्तुत किए गए द्वितीय राष्ट्रीय संवाद के अनुसार यह आकलन किया गया है कि इस शताब्दी के अंत तक वार्षिक औसत सतही तापमान 3.5^0 से. से 4.3^0 से. तक बढ़ेगा जबकि भारतीय तट के साथ का समुद्री-स्तर औसतन लगभग 1.3 मी.मी./वर्ष की दर से बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के इन अनुमानों से मानव स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, प्राकृतिक पर्यावरण एवं जैवविविधता पर असर पड़ने का अंदेशा है।

12.7 जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली आपदाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबावों के कारण अनवरतता एवं पर्यावरण ने भारतीय नीति के क्षेत्र में केन्द्र स्थान ले लिया है। भारत ने 94 बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों में हिस्सा लिया है। भारत ने स्वेच्छा से वर्ष 2020 तक अपने स.घ.उ. के उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 20-25 प्रतिशत कमी लाने की बात मानी है तथा कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन उसकी उत्सर्जन तीव्रता के आकलन का हिस्सा नहीं होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही अपने स.घ.उ. के गिरती कार्बन तीव्रता के संबंधा में कमतर कार्बन अथवा अनवरतता के पथ पर अग्रसर है। जिसके कमतर कार्बन रणनीतियों के माध्यम से और गिरने की अपेक्षा है। यह अनुमान लगाया गया है कि 2031 में भी भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2005 के प्रति व्यक्ति वैश्विक उत्सर्जन से कम ही होगा। 2031 में भारत की प्रतिव्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन समकक्ष Co_2 के 4 टन के अंदर ही होगा (Co_2 समकक्ष जो कि 2005 के Co_2 समकक्ष के 4. 22 टन प्रति व्यक्ति वैश्विक उत्सर्जन से कम है)

12.8 विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयासों के साथ-साथ भारत यह बात भी जानता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का दबाव का खतरा उतना ही है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं जीविका कार्यक्रमों हेतु योजनाएं संगत हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) भूमि, मृदा एवं जल से जुड़ी है। नॉन-टिम्बर वन उत्पाद-आधारित जीविका, जैव एवं न्यून-रसायन कृषि के प्रचार तथा कृषि-आधारित जीविका को बरकरार रखे जाने के लिए मृदा की गुणवत्ता एवं उपजाऊपन को बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रम भी हैं। ये योजनाएं सामुदायिक संस्थाओं की क्षमता को गतिशील एवं विकसित करने में मदद करती है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक अनवरत तरीके से किया जा सके तथा उनकी शक्तियों का और अधिक विकास किया जा सके।

12.9 ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अनवरतता को लाने के प्रयासों के साथ भारत अपनी राष्ट्रीय नीति स्थान में अनवरत विकास के तीन स्तभों को एकीकृत करने का प्रयास लगातार कर रहा है। वास्तव में, पर्यावरण सुरक्षा तो हमारे संविधान (अनुच्छेद 48ए एवं 51ए(जी)) में उद्धधृत है। वन्यखंड, प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा तथा समुद्री एवं तटीय पर्यावरण के क्षत्र में विभिन्न नीतिगत उपायों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनमें से कुछ नीतियां हैं:–संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम), एकीकृत आवास आकलन हेतु ग्रीन रेटिंग, तटीय क्षेत्र विनियम क्षेत्र, ईको लेबलिंग एवं ऊर्जा सक्षमता लेबलिंग, ईंधन सक्षमता मानक आदि। एक समयावधि के दरम्यान पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक स्थिर संगठनात्मक स्वरूप का विकास किया गया है। देश अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा 2011 में 12 अरब डॉलर की 62 प्रतिशत वृद्धि के साथ दुनिया के किसी भी बड़े नवीकरणीय बाजार में निवेश के तीव्रतम विस्तार रेट का प्रदर्शन किया है। (फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के एक अध्ययन 'नवीकरणीय ऊर्जा निवेश की वैश्विक वृत्तियां 2012 के अनुसार)। 12वीं पंचवर्षीय योजना में अनवरतता पर पूरा ध्यान देते हुए ऐसे अनेक अवसरों का प्रावधान किया गया है एवं उपलब्ध कराया गया है।

12.10 अनवरत विकास नीतियों, कार्यक्रमों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तंभों पर कार्य करते हुए गरीबी का उन्मूलन करने हेतु लक्षित योजनाओं को शुरू किया गया है। इसे या तो रोजगार सृजन, युवा गतिशीलता तथा गरीबों हेतु परिसंपत्ति जुटाए जाने जैसे आर्थिक संकेतकों पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान देकर किया जा सकता है। या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर बल देकर मानव विकास के सामाजिक संकेतकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है। यह निर्धनता हेड-काउंट अनुपात 2004-05 से 2009-10 में 7.3 प्रतिशतता बिन्दु से गिरा; जच्चा मृत्यु दर (एम एम आर) 2001-03 में 301 प्रति 100,000 जीवित जन्म से 2007-09 में 212 प्रति 100,000 जीवित जन्म तक गिरा; साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हुई है तथा 2011 के भारत के जनगणना के अनुसार इसे पुरुषों हेतु 82.14% एवं महिलाओं हेतु 65.46% आंका गया है। फिर भी, भारत 2015 तक कुछ प्रमुख एमडीजी को पूरा नहीं कर पाएगा।

12.11 गत कुछ वर्षों में स.घ.उ. के परम्परागत उपायों से इतर देखे जाने के पक्ष में तथा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से पहुंचे पर्यावरणीय क्षति पर ध्यान देने पर ध्यान दिया गया है। भारत के लिए 'ग्रीन नैशनल एकाउन्ट्स' हेतु रूपरेखा तैया करने के लिए प्रोफेसर पार्थ दासगुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह बनाया गया है। वास्तव में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के अधीन केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) 1997 से एक व्यापक पर्यावरण सांख्यिकी का प्रकाशन करता आया है। 2002 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की गणना हेतु एक प्रणाली का विकास किया गया था।

12.12 इन सभी प्रयासों के बावजूद पर्यावरण की जो वास्तविकता हमारे सामने है वह क्रूर और जटिल है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं जल एवं भूमि संसाधनों हेतु बढ़ती मांग ने जल एवं मिट्टी संसाधनों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता पर बुरा असर डाला है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरत भी चिंता का एक विषय है। इसके अलावा, तीव्र वृद्धि के कारण ऊर्जा आपूर्ति में भी तीव्रता अपेक्षित होगी। वर्तमान में हमारी ऊर्जा मांग के एक बड़े भाग की आपूर्ति कोयले एवं तेल से पूरी की जाती है तथा यह वृत्ति, ऊर्जा की मांग एवं संसाधनों के अभाव में अभूतपूर्व बहाव को देखते हुए आगे भी जारी रहेंगी। मौजूदा ऊर्जा अभाव एवं ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के साथ ऊर्जा संबंधित मुद्दे और अधिक जटिल बन गए हैं। शिशु मृत्यू दर, जच्चा मृत्यू दर (एम एम आर), स्वच्छता सुविधाओं एवं लोक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे विकासपरक संकेतकों के साथ भारत में ऊर्जा एवं जल के इस्तेमाल की क्षमता को बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है। सतत रूप से विकास एवं वृद्धि को हासिल करने में मदद करने में आर्थिक विलेख, विनियामक उपाय एवं बाजार तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय एवं प्रयास

12.13 पर्यावरण की समस्याओं के समाधान से जुड़ी चिंताओं को स्वीकार करते हुए वैश्विक स्तर पर सहयोग, कार्रवाई एवं सृजनता की आवश्यकता है। 2012 में विश्व के नेता जलवायु एवं पर्यावरण को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा जी 20 जैसे मंच पर भी, जहां अनवरत विकास एवं जलवायु परिवर्तन चर्चा का अभिन्न हिस्सा रहा है, पर चर्चा करते आए हैं। इन सभी मंचों पर होने वाली बातचीत में आम विषय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वाकांक्षी होना, विकासशील देशों में क्षमता निर्माण हेतु संस्थानों एवं तंत्रों तथा वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी का प्रावधान करना रहे हैं। कुछेक उच्च-स्तरीय घटनाएं जिनका साक्षी पूरा विश्व रहा है पर परिचर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है।

रियो + 20

12.14 अनवरत विकास पर संयुक्त राज्य सम्मेलन (यूएनएससीडी) जून 2012 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में किया गया (जिसे रियो + 20 नाम से भी जाना जाता है)। इसमें राज्य स्तर के शीर्ष उपस्थित हुए।

12.15 रियो + 20 सम्मेलन का उद्देश्य अनवरत विकास हेतु संशोधित राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना तथा 20 वर्ष पूर्व 1992 में रियो डी जेनेरो में हुए यूएनसीएसडी से अब तक

की गई प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्यान्वयन में आयी बाधाओं की पहचान एवं नई एवं उभरती चुनौतियों का आकलन करना था। इसकी समाप्ति पर सम्मेलन के दो मूल विषय थे। वस्तुत: (क) अनवरत विकास एवं गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था; तथा (ख) अनवरत विकास हेतु संस्थानामक रूपरेखा। रियो सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम वैश्विक पर्यावरणीय भाषण में समता के सिद्धांत तथा आम किन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों (सीबीडीआर) को पुन: स्थापित करना तथा वैश्विक विकासपरक कार्यसूची में गरीबी उन्मूलन को केन्द्र में रखना रहा है। परिणाम हरित अर्थव्यवस्था में अपेक्षित घरेलू नीति स्थान को भी सुनिश्चित करते हैं तथा अनवरत विकास के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चार प्रक्रियाओं/तंत्रों अर्थात एसडीजी का विकास, वित्तीय रणनीति, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं प्रस्तावित उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच के संगठनात्मक पहलुओं एवं फॉरमैट को परिभाषित करना, का आरंभ करते हैं।

12.16 'निष्पक्षता' एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान दिया गया। भारत के लिए यह संतुष्टि एवं उपलब्धि की बात थी कि रियो परिणाम दस्तावेज अन्य रियो सिद्धांतों में समता एवं सीबीडीआर के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अन्य विकासशील देशों के साथ भारत ने इसमें असाधारण भूमिका निभायी। सीबीडीआर विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अनुसार जहां सभी देशों द्वारा अनवरत विकासपरक कार्रवाई की जानी चाहिए वहीं विकासशील देशों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभायी जानी चाहिए क्योंकि पर्यावरण की समस्याओं में सर्वाधिक योगदान भी उनकी ही रहा है तथा उन्हें विकासशील देशों द्वारा किए जा रहे अनवरत विकास के प्रयासों में वित्तीय एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता भी की जानी चाहिए। भारत ने हमेशा यही माना है कि गरीबी उन्मूलन ही अनवरत विकास का मूल लक्ष्य होना चाहिए। इस बात को रियो सम्मेलन की चर्चाओं एवं परिणाम दस्तावेज में उचित पहचान मिली।

12.17 हरित अर्थव्यवस्था के मुद्दे में परिणाम दस्तावेज इस बात की पुष्टि करता है कि अनवरत विकास प्राप्त करने हेतु प्रत्येक देश हेतु उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अलग-अलग सोच, दृष्टि, आदर्श एवं हथियार उपलब्ध होते हैं। यह हरित अर्थव्यवस्था की पहचान अनवरत विकास एवं गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में अनवरत विकास की प्राप्ति हेतु एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में करता है किन्तु यह भी स्पष्ट करता है कि जहां यह नीति-निर्धारण हेतु विकल्प उपलब्ध करा सकता है वहीं इसे सख्त नियमावली नहीं होना चाहिए। परिणाम दस्तावेज साफ तौर पर यह बताता है कि हरित अर्थव्यवस्था नीतियों का क्या परिणाम होना चाहिए और क्या नहीं। यह भी संतोषतजनक है कि दस्तावेज ठोस तरीके से रूढ़िगत नीतियों, एकपक्षीय उपायों तथा व्यापार अवरोधों के साथ कार्यालीय विकासपरक सहायता (ओडीए) पर अनुचित शर्तों को अस्वीकृत करता है।

12.18 रियो + 20 सम्मेलन विकासशील एसडीजी की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भी यादगार रहेगा। एसडीजी अनवरत विकास के तीनों आयामों एवं उनकी अंतर्संबंधतता का समाधान संतुलित रूप में करेगी। एसडीजी सार्वभौम, वैश्विक तथा स्वैच्छिक होंगे। चूंकि एसडीजी का उत्तर-2015 यूएन विकास कार्यसूची का एक हिस्सा बनना अपेक्षित है तो वह संभवत: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सम्मिलित अनवरत विकास की मार्गदर्शन करेंगे।

12.19 भारत के दृष्टिकोण से एसडीजी द्वारा विकास एवं पर्यावरण को एक ही लक्ष्य के तहत लाया जाना अपेक्षित है। वैश्विक सम्मेलनों में पर्यावरण एवं विकास के बीच अनुचित संतुलन ही मुख्य चूक होती है। विकासशील देश गरीबी उन्मूलन के प्रति उनके प्रयासों अथवा किसी महंगे करार में शामिल हो किसी बाध्यता में नहीं पड़ना चाहते। अत: हम एसडीजी तथा उत्तर-2015 कार्यसूची को एमडीजी रूपरेखा में तालमेल बिठाने तथा विकासपरक मामलों पर ध्यान पुन:केंद्रित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। भारत एवं कई विकासशील देश कुछेक एमडीजी जिनके कुछ ठोस क्षेत्र पर्यावरण एवं विकास के बीच ओवरलैप करते हैं, के अंतर्गत लक्ष्यों को बहुत धीरे-धीरे प्राप्त कर पा रहे हैं। यह भी एक कारण है कि क्यों उन्हें उत्तर 2015 वैश्विक नीति वास्तुशास्त्र का हिस्सा होना जारी रखना चाहिए।

12.20 रियो-शिखर सम्मेलन में वित्त और प्रौद्योगिकीय मोर्चे पर कोई विशिष्ट वचनबद्धता नदारद रही। अपनी बाध्यताओं और दायित्वों के चलते विकसित देशों को चाहिए कि वे विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उनके क्षमता निर्माण हेतु निधियां उपलब्ध कराने सहित पर्याप्त सार्वजनिक निधियों के प्रावधान के लिए प्रतिबद्ध हों। विकसित देशों द्वारा नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कुछ ऐसे जिनकी भारत को आशा थी, के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। नए धन और प्रौद्योगिकी की वचनबद्धताओं के बिना ग्रीन अर्थव्यवस्था और सतत् विकास संबंधी किन्हीं नए लक्ष्यों को पाना निरर्थक है। तथापि हम आशा करते हैं कि वित्त और प्रौद्योगिकी दोनों पर रियो + 20 की अनुवर्ती प्रक्रिया कतिपय नई रणनीतियों और तंत्रों का मार्ग प्रशस्त करने वाले इन मुद्दों को बनाए रखेगी।

12.21 जबकि विकासशील देश क्रियान्वयन के साधनों पर परिणामी दस्तावेज़ से निराश रहे, फिर भी जैसे-तैसे बातचीत के दौरान अपनी बहुत-सी प्रमुख स्थितियों और मांगों को सुरक्षित कर पाए। इस वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बारे में इस बात से काफी कुछ विदित होता है कि 20 वर्ष पहले तैयार किए सिद्धातों की पुन: पुष्टि होना सफलता का द्योतक है।

जैव विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी)

12.22 जैव-विविधता के बारे में वैश्विक सरोकारों को अभिव्यक्ति 1992 में अपनाई गई सीबीडी में मिली। सम्मेलन के उद्देश्य हैं: जैव-विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का नियंत्रित उपयोग,

और आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और समान रूप से साझा करना। इस सम्मेलन से 193 देशों के जुड़ने के साथ ही इसकी सदस्यता लगभग सार्वभौमिक हो गई है। बड़े देशों में अमरीका ही ऐसा देश है जो इसका सदस्य नहीं है। सीबीडी का अनुसमर्थन करते हुए, भारत ने की 2002 में जैव-विविधता अधिनियम को पारित किया और सीबीडी के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए 2004 में नियमावली को अधिसूचित किया।

12.23 इस उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध होते हुए, भारत ने 8-19 अक्तूबर, 2012 के दौरान हैदराबाद में सीबीडी के सीओपी 11 (पक्षकारों का सम्मेलन) और जैव सुरक्षा पर सीबीडी के कार्टाजेना प्रोटोकोल के सीबीडी के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करते हुए छठे पक्षकारों के सम्मेलन (सीओपी/एमओपी-6) की सफलतापूर्वक मेजबानी की। इस मेजबानी ने भारत को जैव-विविधता पर अपनी पहलों और क्षमताओं को सुदृढ़ करने, बढ़ाने और प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि पक्षकारों ने 2015 तक विकासशील देशों को मिलने वाले जैव-विविधता संबंधी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह को दो गुना करने और कम से कम इस स्तर को 2020 तक बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इससे विकासशील देशों को अगले आठ वर्षों में लगभग 30 बिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त वित्तीय प्रवाह मिलेगा।

12.24 भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी ने सीओपी 11 के दौरान नागोया प्रोटोकॉल के प्रति भारत के अनुसमर्थन की घोषणा की और विकासशील देशों में संस्थागत तंत्र और क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए भारत की अध्यक्षता के दौरान 50 मिलियन अमरीकी डालर की 'हैदराबाद प्रतिज्ञा' की भी शुरूआत की। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सीओपी-11को चिह्नित करने के लिए हैदराबाद में संस्मारक तोरण का अनावरण किया। इस स्थल पर एक जैवविविधता का अजायबघर और एक बगीचा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर जैव-विविधता अधिनियम के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएंगे और राज्य जैव-विविधता बोर्डों को सहायता प्रदान की जाएगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को जैव-विविधता के रजिस्टर तैयार करने को कहा जाएगा।

दोहा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2012

12.25 यूएनएफसीसीसी के सीओपी का 18वां सत्र दोहा, कतर में 26 नवंबर को प्रारंभ हुआ और 8 दिसंबर 2012 को समाप्त हुआ जिसकी परिणती यूएनएफसीसीसी के क्रियान्वयन और इसके क्योटो प्रोटोकॉल (केपी) की प्रगति के लक्षित निर्णयों ('दोहा जलवायु प्रवेशद्वार' के रूप में सम्मिलित) हुई।

12.26 दोहा सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे थे: प्रोटोकॉल के अंतर्गत दूसरी वचनबद्धता अवधि को क्रियान्वित करने के लिए केपी में संशोधन करना; बाली एक्शन प्लान (बीएपी) के कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त करना जिसके अंतर्गत जलवायु वित्त की ओर एक स्पष्ट मार्ग की तत्काल आवश्यकता होना थी; और संवर्द्धित कार्रवाई के लिए डर्बन प्लेटफॉर्म (डीपी) के तहत कार्य की योजना बनाना। सम्मेलन में सभी तीनों मुद्दों को उठाया गया और इसकी परिणती विभिन्न देशों के हितों और दायित्वों के संतुलित पैकेज के रूप में हुई। (बॉक्स 12.4)

12.27 दोहा सम्मेलन में, भारत द्वारा उठाए गए इक्विटी, प्रौद्योगिकी से जुड़े आईपीआर, और एकपक्षीय उपायों संबंधी तीन मृद्दे निर्णयों में प्रतिध्वनित हुए। बीएपी के तहत ये बकाया या अनसुलझे मुद्दे कन्वेंशन के विभिन्न निकायों के नियोजित या सतत कार्य का हिस्सा हैं। दोहा में, भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में अनुशमन से जुड़े पहलुओं पर कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाता क्योंकि विकासशील देशों के लिए कृषि एक संवेदनशील क्षेत्र है। सम्मेलन ने स्पष्ट रूप से यह माना कि सतत विकास के लिए समान अभिगम्यता की आवश्यकता सहित पक्षकारों की कार्रवाई इक्विटी और सीबीडीआर पर आधारित होगी। सम्मेलन ने यह माना कि ग्लोबल पीकिंग संबंधी वे मुद्दे जिनसे विकासशील देशों के उत्सर्जनों को सीमित करके इनके विकास क्षेत्र को रोका जा सकता है, विवादास्पद हैं और विकास के इस चरण पर इनसे बचा जाना चाहिए।

12.28 इसी समय, सभी देशों के हितों को पूरा करने और एक संतुलित पैकेज के नतीजे पर पहुंचने के प्रयास में पैकेज के कुछ तत्वों में समझौते या आस्थगन की आवश्यकता हुई। अनेक मामलों में, विकासशील देशों द्वारा समग्र रूप से महत्वाकांक्षी और मजबूत मांगे रखी गई परंतु संतुलन के लिए देशों को अपनी मांगों के परिपक्व और सूक्ष्म मांगों को ही स्वीकार करना था। वे प्रमुख सरोकार जिन्हें सम्मेलन में उठाया नहीं जा सका विकसित देशों की वित्तपोषण संबंधी प्रतिबद्धताओं और क्षेत्रीय कार्रवाईयों से संबंधित थे। मध्यावधि वित्तपोषण (2013-20) के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं अपनाए गए थे। जबकि सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (आईसीएओ) या अंतरराष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन (आईएमओ) को अपने संबंधित क्षेत्रों में उत्सर्जनों को कम करने के लिए कदम उठाने हेतु अध्यादेश नहीं दिया, इन कार्रवाइयों के लिए क्षेत्रगत ढांचे पर निर्णय नहीं होने पर संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा इन क्षेत्रों में की जा रही इस तरह की कार्रवाइयों की संभावना खुली हुई है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आईसीएओ के कुछ अग्रणी सदस्य एक वैश्विक बाजार आधारित तंत्र को इस तरह की कार्रवाइयों के वाहक रूप में प्राथमिकता देते हैं, संभवत: वह ढांचा और सिद्धांत जिनके आधार पर इस तरह की कार्रवाइयां

बॉक्स 12.4 : दोहा के प्रमुख परिणाम

- इस बात पर सहमति हुई कि केपी, एक मात्र मौजूदा और बाध्यकारी करार जिसके तहत विकसित देश ग्रीन हाऊस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करने के लिए वचनबद्ध हैं; दूसरी वचनबद्धता अवधि में प्रवेश करेगा जो कि 8 वर्षों तक चलेगी।
- सरकारें 2015 तक अपनाए जाने वाले, 2020 से सभी देशों पर लागू डीपी के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन करार की ओर द्रुत गति से कार्य करने के लिए सहमत हुई हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारों ने उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा में अंतर को पाटने हेतु 2020 से पहले प्रयासों को और तेज करने के मार्ग को तलाशने का निर्णय लिया।
- सरकारों ने दीर्घावधिक तापमान संबंधी लक्ष्य की समीक्षा करने के लिए एक सशक्त प्रक्रिया प्रारंभ की है। यह 2013 में प्रारंभ होगी और 2015 तक समाप्त होगी और जलवायु परिवर्तन के संकट की बढ़ोतरी पर एक यथार्थ रोकथाम होगी और आगे की कार्रवाई को गतिशील बनाने के लिए संभावित आवश्यकता है।
- दीर्घावधिक वित्त पर कार्य प्रोग्राम गत वर्ष प्रारंभ किया गया था जिसे जलवायु वित्त में गतिशीलता बढ़ाने के जारी प्रयासों में भागीदार होने के लिए एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। विकसित देशों ने 2020 तक अनुकूलन और प्रशमन दोनों के लिए 100 बिलियन अमरीकी डॉलर संचारित करने के वादे को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है।
- निर्णय से विकसित देश 2013 और 2015 के बीच, और कम से कम 2010-12 फास्ट-स्टार्ट वित्त अवधि के दौरान प्रदत औसत वार्षिक स्तर तक, वित्त प्रदान करने के लिए प्रयासों को बढ़ाने के लिए भी प्रेरित हैं।
- 2015 तक की अवधि के लिए जर्मनी, यूके, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन और ईयू कमिशन द्वारा लगभग 6 बिलियन अमरीकी डालर की वित्त सहायता दिए जाने का वचन दिया गया है।
- ग्रीन क्लायमेट फंड (जीसीएम) के बोर्ड द्वारा रिपब्लिक ऑफ कोरिया को जीसीएफ की मेजबानी करने के लिए चुने जाने पर सहमति हो गई है।
- प्रौद्योगिकी से जुड़े बौद्धिक संपत्ति अधिकारों (आईपीआर) के अनसुलझे मुद्दे और बीएपी के तहत एकपक्षीय उपाय अब कन्वेंशन के विभिन्न निकायों के नियोजित या सतर्त कार्य का हिस्सा हैं। निर्णयों के आधार पर, प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति (टीईसी), इसकी भावी कार्य-योजना में आईपीआर सहित, समर्थकारी पर्यावरणों और अवरोधों से संबंधित मुद्दों के छान-बीन की पहल करेगी। टीईसी ने एक प्रमुख संदेश के रूप में आईपीआर की पहचान पहले ही कर ली है जिस पर इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इसी तरह, जवाबी उपायों के क्रियान्वयन पर मौजूदा मंच के अधीन एक पक्षीय उपायों के मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया है।

की जाएंगी, कुछ समय के लिए झगड़े की जड़ बन सकती है। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील देशों की जोरदार मांगों के बावजूद जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाली हानि और क्षति के लिए किसी प्रतिपूर्ति तंत्र पर कोई संतोषजनक करार नहीं हो सका।

12.29 सकारात्मक रूप से, दोहा सम्मेलन दूसरी प्रतिबद्धता अवधि सुनिश्चित करने के लिए केपी में संशोधन करने में सफल रहा। दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 1 जनवरी 2013 से प्रारंभ हो कर 8 वर्ष तक चलेगी। इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि केपी के अंतर्गत 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाली प्रथम प्रतिबद्धता अवधि और 1 जनवरी, 2013 को प्रारंभ होने वाली दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। रूस, न्यूजीलैंड, जापान और कनाडा को छोड़ अन्य सभी देशों जो प्रथम प्रतिबद्धता अवधि का हिस्सा थे, ने दूसरे राउंड में प्रवेश किया साथ ही कुछ नए देशों ने भी प्रवेश किया। इस बात पर सहमति हुई कि केपी पक्षकार महत्वाकांक्षा बढ़ाने के विचार से 2014 में अपने लक्ष्यों को पुन: प्राप्त करेंगे। केपी पक्षकारों द्वारा उत्सर्जन में कमी करने संबंधी दायित्व इतने महत्वाकांक्षी नहीं जितने विज्ञान की दृष्टि से आवश्यक हैं; तथापि, ये कार्बन के बाजारों में एक निश्चितता की एक सापेक्ष डिग्री प्रदान करते हैं। ईयू वर्ष 2020 तक 1990 (सारणी 12.1) की तुलना में 20% तक उत्सर्जनों को कम कर देगा। सरकारें भी अनुशमन संबंधी प्रतिबद्धताओं के लिए नई व्यवस्थाओं और 2020 से सभी देशों पर लागू, और 2015 तक अपनाए जाने वाली कार्रवाईयों का विकास करने के लिए डीपी के अधीन द्रुत गति से कार्य करने पर सहमत हो गई है। महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रगति में, इस बात पर सहमति हुई कि डीपी का कार्य कॉन्वेंशन के सिद्धांतों पर आधारित होगा।

जी 20 के अधीन विचार-विमर्श

12.30 जी 20-विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह-ने मैक्सिको की अध्यक्षता में 2011-12 के दौरान ग्रीन वृद्धि का एजेंडा अपनाया। जी 20 एजेंडे में ग्रीन वृद्धि को शामिल करने का लक्ष्य था विकासशील देशों, विशेषकर कम आय वाले देशों को कम कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने में सहायता करना और साथ ही इन देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रति और अधिक प्रत्यास्थी बनने में सक्षम बनाना। अभी तक, जी 20 के मंत्री स्वेच्छा से, ढांचागत सुधार के एजेंडों में ग्रीन वृद्धि और सतत विकास की नीतियों को शामिल करने के लिए अपने तत्संबंधी देश के प्रयासों पर 2013 में स्व:रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमत हुए हैं। जी 20 के नेताओं ने पिछले वर्ष

यूएनएफसीसीसी के उद्देश्यों, प्रावधानों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी रूप से संसाधनों के संचरण के तरीकों पर विचार करने के लिए एक जलवायु वित्त सेवा समूह गठित करने के लिए भी परस्पर सहयोग किया है।

जी 20 देशों के Co_2 उत्सर्जनों पर एक नजर

12.31 चूंकि Co_2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) है, 2005 की तुलना में 2009 के अनुसार विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति इसके उत्सर्जनों का विश्लेषण एक रोचक तस्वीर प्रस्तुत करता है। हालांकि जी 20 एक समूह के रूप में संदर्भित है, आय, विकास के चरणों और तत्संबंधी प्रति व्यक्ति Co_2 उत्सर्जनों के अनुसार सदस्य देशों के बीच एकदम भिन्नताएं हैं। 2005 में, यूएसए में प्रति व्यक्ति 19.7 मीट्रिक टन Co_2 उत्सर्जन था जिसके बाद आस्ट्रेलिया (18.0)। 2005 में प्रतिव्यक्ति न्यूनतम उत्सर्जक ब्राजील (1.9), इंडोनेशिया (1.5) और भारत (1.2) थे जो 2009 में भी सबसे निचले तीन स्थानों पर बने रहे। 2009 में, आस्ट्रेलिया जी 20 में सर्वप्रथम रहा। जिसके बाद यूएसए (आंकड़े 12.2)

जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्तपोषण

12.32 वातावरण में कार्बन के सकेंद्रण को उस सुरक्षित स्तर तक स्थायित्व देने के उद्देश्य से कार्बन और इसके तत्संगत वित्तपोषण स्कंधों के लिए वैश्विक बजट का विचार करना जिससे जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप से बचा जा सके। वैश्विक औसत तापमान में पहले ही 0.8^0C की वृद्धि हो चुकी है। यह व्यापक रूप से स्वीकारा गया है कि हम तेजी से तापमान में 2^0C की वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं जिसके भीतर वैश्विक समुदाय अपने आपको सीमित करने का प्रयास कर रहा है। इससे यह इंगित होता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए कार्रवाई करने और इस बिंदु पर पहुंचने से बचने का अल्पमात्र और शीघ्र ही बंद होने वाला अवसर मौजूद है।

12.33 अब भी प्रश्न शेष है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाइयों को किस तरह वित्तपोषित किया जाए। यूएनएफसीसीसी के एक पत्र (2007) के अनुमान के अनुसार जीएचजी उत्सर्जनों को मौजूदा स्तरों तक वापस लाने के लिए 2030 में अतिरिक्त वार्षिक निवेश में 200-10 बिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, विश्वभर में अनुकूलन के लिए 2030 में वार्षिक रूप से 60-182 बिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। तथापि, समय बीतने के साथ और अपर्याप्त कार्रवाई पर इन्हें संशोधित करके बढ़ाया भी जा सकता है। दीर्घावधिक वित्त (जुलाई 2012) पर यूएनएफसीसीसी की कार्यशाली में प्रस्तुत नवीनतम अनुमान प्रतिवर्ष 600-1500 बिलियन अमरीकी डॉलर की रेंज में अत्यधिक बड़ी निधियों के रूप में किए गए हैं जिनकी विकासशील देशों को अनुशमन और अनुकूलन के लिए आवश्यकता होगी।

12.34 यह राशि यूएनएफसीसीसी के तहत लक्ष्य के रूप में संस्वीकृत 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के भावी वित्त पोषण प्रवाह से कम से कम 5-10 गुणा अधिक है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में रिपोर्ट की कि 2^0C तापमान वृद्धि परिदृश्य में अकेले विद्युत सृजन के लिए वार्षिक वैश्विक निवेशों में 2010 से 2020 के लिए 370 बिलियन अमरीकी डॉलर, 2020 और 2030 के बीच 630 बिलियन अमरीकी डालर और 2030 और 2050 के बीच 760 बिलियन अमरीकी डालर शामिल होंगे।

चित्र 12.2: जी20 देशों का कार्बन डायऑक्साइड प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन

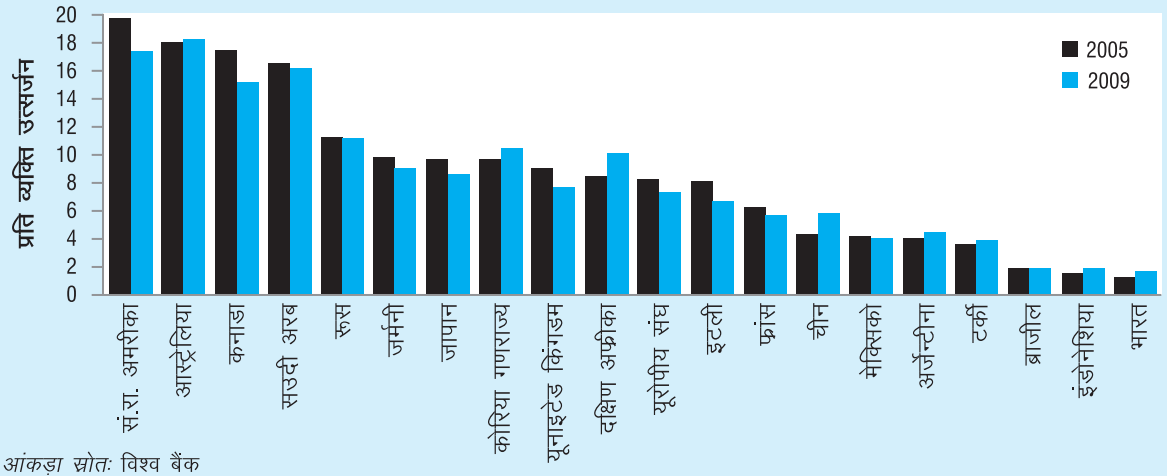

आंकड़ा स्रोत: विश्व बैंक

तालिका 12.1 : द्वितीय वचनबद्धता अवधि के दौरान क्योटो पार्टियों द्वारा उत्सर्जन कटौती की वचनबद्धता

देश	द्वितीय अवधि 2013-2020 (आधार वर्ष 1990 का %) में उत्सर्जन कटौती वचनबद्धता	प्रथम अवधि 2008-2020 (आधार वर्ष 1990 का %) में उत्सर्जन कटौती वचनबद्धता	जी.एच.जी. उत्सर्जन में 1990-2010 (%) में वास्तविक परिवर्तन	वर्ष 2010 (%) के अनुसार प्रथम वचनबद्धता के क्योंटो लक्ष्य से विचलन
ऑस्ट्रेलिया	(-0.5)	8	30.0	22
ऑस्ट्रिया	(-20)	(-8)	8.2	16.2
बेल्जियम	(-20)	(-8)	–7.6	0.4
बुलगारिया*	(-20)	(-8)	–52.0	(-44)
क्रोशिया*	(-20)	(-5)	–9.1	(-4.1)
चैक रिपिब्लक*	(-20)	(-8)	–28.9	(-20.9)
डेनमार्क	(-20)	(-8)	–10.5	(-2.5)
ईस्टोनिया*	(-20)	(-8)	–49.6	(-41.6)
यूरोपियन यूनियन	(-20)	(-8)	–15.4	(-7.4)
फिललैंड	(-20)	(-8)	6	14
फ्रांस	(-20)	(-8)	–6.0	2
जर्मनी	(-20)	(-8)	–24.8	(-16.8)
ग्रीस	(-20)	(-8)	12.6	20.6
हंगरी*	(-20)	(-6)	–40.9	(-34.9)
आईसलैंड	(-20)	10	29.7	19.7
आयरलैंड	(-20)	(-8)	11.2	19.2
इटली	(-20)	(-8)	–3.5	4.5
लॉटविया*	(-20)	(-8)	–54.5	(-46.5)
लेचतेनटीन	(-16)	(-8)	1.1	9.1
लीथूआनिया*	(-20)	(-8)	–56.9	(-48.9)
लक्समब्रग	(-20)	(-8)	–5.9	2.1
मोनाको	(-22)	(-8)	–18.7	(-10.7)
नीदरलैंडस	(-20)	(-8)	–0.9	7.1
नार्व	(-16)	1	8.2	7.2
पोलैंड*	(-20)	(-6)	–28.9	(-22.9)
पुर्तगाल	(-20)	(-8)	17.5	25.5
रोमानिया*	(-20)	(-8)	–57.6	(-49.6)
स्लोवाकिया*	(-20)	(-8)	–35.9	(-27.9)
स्लोवेनिया*	(-20)	(-8)	–3.5	4.5
स्पेन	(-20)	(-8)	25.8	33.8
स्वीडन	(-20)	(-8)	–9.0	(-1)
स्विटजरलैंड	(-15.8)	(-8)	2.2	10.2
यूक्रेन*	(-24)	0	–58.8	-58.8
यूनाईटिड किंगडम	(-20)	(-8)	–22.6	(-14.6)
बेलारस*	(-12)			
माल्टा	(-20)			
कजाकिस्तान	(-5)			
साईप्रस	(-20)			

स्रोत: यूएनएफसीसीसी (केवल 2010 तक उपलब्ध वास्तविक उत्सर्जन के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े)

नोट: वर्ष 2008-12 के लिए केपी के अंतर्गत, कजाकिस्तान, साइप्रस, मालटा और बेलारूस की कटौती संबंधी प्रतिबद्धताएं नहीं थी। कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और रूस क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के पक्षकार नहीं थे। वे देश जो बाजार-अर्थव्यवस्था के परिवर्तन से गुजर रहे हैं।

किसी भी प्रतिनिधि देश यथा आस्ट्रेलिया के लिए, सारणी में दर्शाया गया है कि प्रथम प्रतिबद्धता अवधि में आस्ट्रेलिया समग्र रूप से 2008-12 (1990 को आधार वर्ष लेते हुए) के बीच 8: तक उत्सर्जनों को बढ़ा सकता है, जबकि दूसरे केपी राउंड के लिए, आस्ट्रेलिया को समग्र रूप से 2013-2020 के बीच (आधार वर्ष 1990) अपने उत्सर्जनों को 0.5 प्रतिशत तक घटाने की आवश्यकता होगी। सारणी के अंतिम दो स्तंभ प्रथम केपी लक्ष्य के प्रति प्रगति दर्शाते हैं जिससे यह पता चलता है कि आस्ट्रेलिया का वास्तविक उत्सर्जन आधार वर्ष की तुलना में 2010 का 30: तक बढ़ गया। इससे इंगित होता है कि 2010-12 की अवधि में आस्ट्रेलिया का उत्सर्जन 22 प्रतिशत तक कम हो जाना चाहिए ताकि यह लक्ष्य के भीतर आ जाए।

घरेलू संसाधन और तंत्र

12.35 अनुकूलन और अनुशमन की लागतों का मूल्य-निर्धारण और मात्रा-निर्धारण एक कठिन कार्य है। तथापि यह स्पष्ट है कि ये लागतें महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में इनके और अधिक बढ़ने की संभावना है क्योंकि पहलें एनएपीसीसी में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार की गई हैं। प्रारंभिक अनुमान मात्र एनएपीसीसी के अंतर्गत आने वाले मिशन उद्देश्यों को ही पूरा करने के लिए 2,30,000 करोड़ रु॰ की राशि इंगित करते हैं, सरकार की अन्य कम-कार्बन रणनीतियां, पर्यावरण नीतियां और कार्यक्रम इससे अलग हैं।

12.36 जलवायु परिवर्तनय पर कार्रवाई के लिए वित्तपोषण का सर्वाधिक सुस्पष्ट स्रोत सरकार की बजटीय सहायता है। इसमें से अधिकांश क्षेत्रगत वित्तपोषण के रूप में आएगा क्योंकि अनुकूलन और अनुशमन के लिए कुछ संसाधनों को जारी स्कीमों और कार्यक्रमों में निर्मित किया गया है। हांलाकि अनुशमन कभी कभी एक महत्वपूर्ण सह-लाभ है, फिर भी इन उद्देश्यों के लिए संसाधनों की तैनाती अधिकांशत: संसाधनों की समग्र उपलब्धता द्वारा संसाचिल होती है। वित्त बिल 2010-11 के अंतर्गत, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्यमशील कार्यों और अनुसंधान में निवेश करने के लिए कोयले की प्रति टन 50 रु॰ की दर पर एक उपकर में से राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) नामक कॉर्पस का सृजन किया गया है। सरकार को 2015 तक एनसीईएफ के अंतर्गत 10,000 करोड़ रु. एकत्र होने की आशा है। सरकार के पास इस क्षेत्र में अत्यधिक संसाधन संबंधी अपेक्षाओं को सृजित करने के लिए प्रयोग करने हेतु इसके अधिकार में नीतिगत उपकरणों और वैरिएबल्स की एक बड़ी श्रृंखला है। इसमें कीमत सिगनलों का सेट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी और निर्यात कर व आयात कर शामिल हैं। सिद्धांत:, पर्यावरण संबंधी करों की ग्रीन पहलों को वित्त पोषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर भी किसी भी सरकार को इन नीतिगत साधनों का उपयोग गंभीर विचार विमर्श और विश्लेषण के बाद ही करना चाहिए क्योंकि इनसे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। पर्यावरण और मंत्रालय द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रतिरूपक अध्ययनों से यह पता चलता है कि भारत में जीएचजी उत्सर्जनों का प्रतिटन 10 यूएस $ के मामूली से राजस्व निरक्षेप अर्थव्यवस्था-वार कार्बन कर से 2005 की कीमतों के अनुसार लगभग 632 बिलियन यूएस $ की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की हानि होगी। फिर भी सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का उपयोग निरंतर कर रही है। (बॉक्स 12.5)

12.37 केवल कार्बन करों और सब्सिडी पर ही निर्भर रहना नीति का सर्वाधिक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता। अत: भारत राजकोषीय उपकरणों और विनियामक हस्तक्षेपों के साथ बाजार तंत्रों के सावधानीपूर्ण मिश्रण का प्रयोग कर रहा है। एक तरफ जहां कोयले पर उपकर भारत में लगाए जा रहे कार्बन कर की एक किस्म है; वहीं निष्पादन उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) और नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) भारत में क्रमश: ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने वाले कैप और व्यापार बाजार तंत्रों के उहाहरण हैं। (बॉक्स 12.6)

12.38 12वीं पंचवर्षीय योजना के विशेष संदर्भ में, कम कार्बन रणनीतियों के अंतर्गत प्रौद्योगिकी में सुधारों और नवीकरणीय व स्वच्छ ऊर्जा प्रोद्योगिकियों की संवर्द्धित तैनाती के लिए पूंजीगत

बॉक्स 12.5 : कार्बन कर और पर्यावरण संबंधी सब्सिडियां

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा कार्बन करों पर किए गए प्रारंभिक प्रतिरूपक अध्ययनों के परिणाम कार्बन कर परिदृश्य में जीडीपी की हानि

चार विभिन्न कार्बन कर परिदृश्यों में सघउ की हानि (2010-11 से 2030-31)

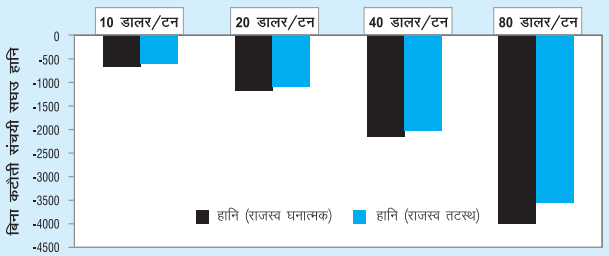

टिप्पणी: आंकड़े 2005 के कीमतों में बिना कटौती संचयी सघउ हानि का प्रतिनिधित्व करते हैं

छूट रहित संचित जीडीपी हानि

कार्बन कर राजस्व सहिक तब होता है जब अर्थव्यवस्था में अन्य कर दरों का काई समायोजन इसमें शामिल न हो। यह राजस्व-तटस्थ तब होता है जब अन्य कर दरों को समायोजित किया जाता है ताकि कार्बन कर से आने वाले राजस्व अंतर्प्रवाह को कम किए गए करों से होने वाली आमदनी की समतुल्य कमी द्वारा पूर्णत: समायोजित किया जा सके।

सरकार द्वारा कुछ पर्यावरण संवर्द्धन सब्सिडियों के व्यय पर एक नजर

पर्यावरण-संवर्द्धन सब्सिडी	2008-09 में व्यय (₹ करोड़)
सीवर और अन्य स्वच्छता संबंधी	1236.06
मृद्रा और जल संरक्षण	26.04
मत्स्य पालन	221.52
वन और वन्य जीवन	696.36
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	365.11
विशेष क्षेत्र के विकास कार्य	1560.29
बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास	175.28
गैर-पारंपरिक ऊर्जा	477.21
परिस्थितिकी और पर्यावरण	473.80
कुल	**5231.67**

स्रोत: मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स (जनवरी, 12) द्वारा 'भारत में पर्यावरणीय सब्सिडियां: भूमिका और सुधार' विषय पर दिया गया तकनीकि पत्र

बॉक्स 12.7 : पीएटी और आरपीओ

पीएटी, संबर्द्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत ऊर्जा-प्रगाढ़ बड़े उद्योगों में ऊर्जा-दक्षता प्रमाणपत्र का सौदा करने की एक स्कीम है। कुछ चुनींदा उद्योगों से तीन वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अपने विशिष्ट ऊर्जा उपभाग (एसईसी) को सुधारने की अपेक्षा की जाती है अन्यथा उन्हें शास्ति उपबंधों का सामना करना होता है। इसके अतिरिक्त, यह तंत्र दक्ष उद्योगों को अपनी अतिरिक्त प्रमाणित ऊर्जा बचत (जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो जाती है) का सौदा अन्य नामित उपभोक्ताओं के साथ करना सरल बनाता है ये उपभोक्ता इन प्रमाण-पत्रों को अपने एसईसी कटौती संबंधी लक्ष्यों के अनुपालन में प्रयोग कर सकते हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, पीएटी स्कीम के अंतर्गत कोयला, तेल, गैस और विद्युत में वार्षिक बचत (प्रथम चरण की 6.686 मिलियन टन तेल के समतुल्य ऊर्जा बचत सहित) के समतुल्य लगभग 15 मिलियन टन तेल प्राप्त करने की संभावना है।

इसी तरह आरपीओ राज्य स्तर पर विनियामक हस्तक्षेपों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए घरेलू बाजार सृजित कर रहा है। आरपीओ नवीकरणीय ऊर्जा (कुल उपभोग में से) का वह न्यूनतम स्तर है जिसे उत्तरदायी निकाय (डिस्कॉम, कैप्टिव पावर प्लांट और खुली अभिगम्यता वाले उपभोक्ता) संवितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र में खरीदने के हकदार होते हैं। इस दायित्व को राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा अधिदेशित किया जाता है। चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भारत भर में समान रूप से फैले हुए नहीं हैं, अत: एसईआरसी सभी राज्यों के लिए आरपीओ का एक समान स्तर निर्धारित नहीं कर सकते। आरणीओ तंत्र के तहत नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (आरईसी) वह साधन है जो उत्तरदायी निकायों को उन्हीं के बीच अधिशेष या कम आरईसी का सौदा नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद का दावा करने में सक्षम आरईसी धारक के साथ करते हुए अपने नवीकरण खरीद दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने के योग्य बनाता है।

वित्त की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ उद्देश्य जिनमें अपेक्षित बजटीय सहायता छोटी हो सकती है उन्हें विनियामक हस्तक्षेपों और बाजार के तंत्रों का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता है। अन्य मामलों में, नीतिओं और उपायों को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय परिव्ययों की आवश्यकता होगी जो एकल क्षेत्रों में अनुशमन संबंधी विशिष्ट परिणामों को हासिल कर सकते हैं। अब तक, राज्य सरकारों के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा वन आच्छादन, नवीकरणीय ऊर्जा और जल क्षेत्र तीनों के लिए प्रत्येक 5000 करोड़ रु. की तीन अनुदानों की सिफारिश की गई है।

12.39 बड़े स्रोत संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 12वीं योजना के उद्दश्यों के अनुसार पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्यार्थ सार्वजनिक और निजी-क्षेत्र की परियोजनाओं/क्रियाकलापों को वित्त पोषित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन निधि स्थापित करने के पक्ष में उठे तर्कों को समर्थन मिला है। यह निधि संस्वीकृत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का साधन हो सकती है और संस्वीकृत प्राथमिकताओं और अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी कार्रवाईयों को वित्त पोषित कर सकती है।

12.40 कार्बन का प्रतिसंतुलन और इसके अपेक्षित वित्त पोषण के लिए वैश्विक प्रयास और प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। जो बाजार इसमें प्रचालनरत हैं वे अंतर्राष्ट्रीय बातचीत से संकेत प्राप्त करते हैं। अकेले घरेलू बाजार और तंत्र न तो अपेक्षित पैमाने पर संसाधनों को सृजित करने में पर्याप्त हैं और न ही लक्ष्यों के निधारित स्तर पर पहुंचने में इतने दक्ष हैं और इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय नीतिगत ढांचे पर अधिक निर्भर हैं। केपी की दूसरी वचनबद्धता अवधि ने कार्बन बाजारों को कुछ राहत और कुछ निश्चितता दी है; तथापि महत्वाकांक्षा के अभाव के कारण कार्बन बाजारों का भविष्य निश्चित स्थिति में नहीं है। अत: जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की कार्रवाइयों को घरेलू संसाधनों, अंतरराष्ट्रीय कार्बन वित्त और बहुपक्षीय निधियों से निर्मित संसाधनों के पूल से वित्त पोषित किए जाने की आवश्यकता होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्रोत और मुद्दे

12.41 प्राथमिक रूप से अपने ही सरोकारों में से भारत ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। जो इस वैश्विक जन कल्याण के प्रति भारत की प्रबल इच्छा को प्रतिबिंबित करती हैं। तथापि, प्रदत्त संसाधनों की कमी और प्रतिस्पर्द्धि मांगों के चलते संतुलनकारी संसाधनों को पाना काफी चुनौतीपूर्ण है। कम कार्बन रणनीतियों पर विशेषज्ञ समूह ने भी अपनी अंतरीम रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण दोनों के रूप में पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहायता के बिना अति उत्साहजनक अनुशमन संबंधी लक्ष्यों को नहीं प्राप्त किया जा सकता। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी रियो. 20 के शिखर सम्मेलन में अपने भाषण 'बहुत से देश और बेहतर कर सकते हैं यदि उन्हें अतिरिक्त वित्त और प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाए। दुर्भाग्य से इन क्षेत्रों में औद्योगिक देशों की ओर से पर्याप्त सहायता नहीं आती।'

12.42 हाल ही में विगत में, विकासशील देशों को उपलब्ध कराने के संदर्भ में, यूएनएफसीसीसी के अधीन होने वाली अधिकांश बातचीत दो संख्याओं नामत: फास्ट स्टार्ट फाइनेंस के रूप में 2010 और 2012 के बीच 30 बिलियन यूएस डालर और दीर्घावधिक वित्त के रूप में 2020 तक वार्षिक 100 बिलियन यूएस डालर ये दो वित्तीय आंकड़े थे जिनकी विकसित देशों ने 2009 में जलवायु परिवर्तन वित्त के रूप में सामूहिक रूप से वचनबद्धता दर्शाई थी। वचनबद्धताओं को संशोधित करने और

बॉक्स 12.7 : एफएसएफ के संबंध में यूएस की 30 बिलियन डालर की वचनबद्धता का मूल्यांकन (2010-12)

जैसे ही 2012 में एफएसएफ का कार्यकाल समाप्त हुआ, कई अध्ययनों ने एसएफएस के कार्यान्वयन पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की इस बारे में हमें सबक सीखना है ताकि हम दीर्घकालीन वित्त का 2020 तक कार्यान्वयन करते समय इन मुद्दों का निवारण कर सके। एफएसएफ के मूल्यांकन के एक हिस्से के रूप में ''द कलाइमेट फिस्कल कलिफ नामक एक ऑगसफेम अध्ययन में पांच संख्याओं के बारे में बताया गया है जो एफएसएफ के अन्तर्गत निधियों की सुपुर्दगी के संबंध में स्वत: स्पष्ट है

(1) एफएसएफ का केवल 33% हिस्सा नई मुद्रा प्रतीत होती है।

(2) लोक वित्त का केवल 24% हिस्सा मौजूदा सहायतार्थ वायदों के अतिरिक्त था।

(3) केवल 21% हिस्सा इसे न्यूनकारी करके सन्तुलन बनाए रखने के वायदों के बावजूद अनुकूशन के समर्थन के लिए खर्च हुआ।

(4) केवल 43% अनुदान के रूप में मुहैया कराया गया तथा शेष ऋण के रूप में मुहैया कराया गया।

(5) केवल 23% हिस्सा बहुपक्षीय निधियों के माध्यम से चैनलाईज्ड किया गया।

एफएसपी के संबंध में अधिकांश सभी मूल्यांकन मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान इंगित करते हैं। (क) यह कि यह रिसाइकिल्ड धनराशि थी जो कि या तो ओडीए से यथावर्तित थी अथवा 2009 कोपेनगत वायदे से पूर्व दी गई अथवा प्लान की गई धन राशि से ली गई थी। (ख) यह कि कमजोर अथवा संवेदनशील वर्गों को इसमें प्राथमिकता नहीं दी गई थी। तथा अनुकुलन पर न्यनतम निधियां खर्च की गई थीं। (ग) विकासशील देशों को अन्तरित कुल संसाधन, वायदे की राशि का आधा भी नहीं थे, क्योंकि 50% से अधिक ऋण के रूप में था जिसकी अदायगी की जानी थी। अत: दीर्घावधि वित्त-फ्लो के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण पाठ है-पर्यावरणीय वित्त फ्लो को बताने और इसका पालन करने के लिए पारदर्शिता, संगतता और एकरूपता।

इन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। विकसित देशों द्वारा वित्तों के प्रावधान के संदर्भ में 'नया और अतिरिक्त' पद को कॉन्वेंशन के पाठ से लेकर सीओपी के विभिन्न निर्णयों तक देखा जा सकता है। इस अर्थ में 'नया और अतिरिक्त' पद उन वित्तीय संसाधनों के प्रावधान के संदर्भ में है जो नई वचनबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं न कि उनका जिन्हें किसी अन्य प्रकार की विकास सहायता के लिए पहले ही उद्दिष्ट किए गए प्रवाहों से लिया गया हो। तथापि जलवायु वित्त में अतिरिक्तता की संस्वीकृत परिभाषा न होने की स्थिति में, विकसित और विकासशील देशों के विचारों में मतभेद है। वित्तीय प्रवाहों में अत्यधिक अनिश्चितता, चैनलों का जटिल जाल, और पारदर्शिता व रिपोर्टिंग पद्धतियों में कमी, फास्ट स्टार्ट वित्त पर वास्तविक अतिरिक्तता के साथ-साथ इन मतभेदों की पृष्ठिभूमि में एक बड़े विवाद का मामला बन गया है। (बाक्स 12.8) अभी हाल ही में इन मतभेदों के परिणामस्वरूप विकासशील देशों की ओर से जलवायु वित्त प्रवाहों को मापने, इनकी रिपोर्ट लेने और इन्हें सत्यापित (एमआरवी करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पर मांग उठने लगी है।

12.43 दोहा सम्मेलन के वित्त पैकेज के एक हिस्से के रूप में, वित्त की एम॰आर॰वी॰ व्यापार अथवा सौदे का महत्वपूर्ण घटक था। यह सन्तोषजनक बात है कि एम॰आर॰वी॰ के घटकों को, सी॰ओ॰पी॰ के अन्तर्गत वित्त सम्बन्धी स्थाई समिति द्वारा उठाया जाएगा। समिति जलवायु वित के बारे में रिपोर्ट करने, इसका आकलन करने और इससे निपटने के लिए क्रिया विधि को सुदृढ़ करने सम्बन्धी तरीकों पर विचार करेगी। वित्त के अन्य घटकों पर विचार करते हुए समिति ने 2013 और 2020 की अवधि के सम्बन्ध में विशेषत: वित्त की मांग के संबंध में लक्ष्यपरक अथवा अर्थपूर्ण निर्णय नहीं लिए। अन्तिम निर्णय विकसित पार्टी देशों को, 2013 और 2015 के बीच की अवधि के सम्बन्ध में कम से कम वार्षिक 2010-2012 के औसत स्तर को बनाए रखने के प्रयास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर से इस सम्बन्ध में पुन: आश्वस्त किया जा रहा है कि डरबन में सी॰ओ॰पी॰-17 में आरम्भ किए गए दीर्घावधि वित्त पर किए जा रहे कार्य को, दीर्घावधि के वित्त के सम्भावित स्रोतों पर चर्चा जारी रखने के मद्देनजर आगे बढ़ाया गया है। निष्कर्षत: दोहा में वित्त सम्बन्धी पराक्रम्य और परिणाम, प्रगति के बड़े कदमों की बजाय लघु और धीमे स्वरूप के कदम थे।

12.44 इसके साथ-साथ, कन्वेंशन के अन्तर्गत जलवायु वित्त के प्रवाह को समर्थ और सुकुर बनाने वाले अपेक्षित ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि केवल वित्त की व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं होगा। धनराशि का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए और इसके परिणाम निकलने चाहिए। इस प्रयोनार्थ, जी॰सी॰एफ॰ को चालू करने का कार्य शुरू किया गया। कोरिया गणराज्य को, इसका सचिवालय बनाए जाने के सम्बन्ध में मेजबान देश के रूप में चुना गया है। जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए 2020 तक विकासशील देशों के लिए वार्षिक रूप से दिए जाने वाले 100 यू॰एस॰ बिलियन डालर के एक बड़े अंश को प्रयोग करने के क्रम में जी॰सी॰एफ॰ सहायक होगा। अपने कार्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में निधि की विज़न ढांचा और रणनीति जी॰वी॰सी॰एफ॰ बोर्ड की कायू सूची की निर्णायक प्राथमिकताएं हैं। बोर्ड को बाहरी हित समूहों द्वारा कभी-कभी प्रस्तावित मानक हल की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए अपितु जवाबदेही और पारदर्शिता आधारित अन्तिम लक्ष्य और परिणामों पर केन्द्रित होना चाहिए।

12.45 इसी बीच यूएनएफसीसीसी के अन्तर्गत अन्य कोष भी हैं जो साथ-साथ कार्य कर रहे हैं। सामूहिक रूप से पार्श्विक पर्यावरण सुवधिा का जलवायु केन्द्रित क्षेत्र, विशेष जलवायु

परिवर्तन कोष, न्यून विकसित देश राष्ट्र कोष और अनुकूलन कोष प्रतिवर्ष 1 बिलियन यू एस डालर($) से कम राशि का वितरण करते हैं। (दीर्घावधि वित्त 2012 के संबंधी कार्य के कार्यक्रम पर कार्यशाला)। जीईएफ जो कि जीसीएफ की तरह यूएनएफसीसीसी के वित्तीय तंत्र का एक प्रचलनात्मक हिस्सा है, राष्ट्रीय विकास पहलों का समर्थन करते हुए पार्श्विक पर्यावरणीय मुद्दों का निवारण करने के लिए परियोजना अनुदान देता है। आज की तारीख तक भारत ने जीईएफ अनुदान के 438 मिलियन यूएस डालर ($) प्राप्त किए हैं। जिसमें से 269.5 मिलियन यूएस ($) जलवायु परिवर्तन की ओर उन्मुख क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए हैं। इसके साथ ही जलवायु निवेश निधि, जो बहुपक्षीय विकास बैंकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, वह सहमति की शर्तों के आधार पर जलवायु सम्बन्धी कार्रवाई के लिए अपनी निधियों की पेशकश कर रहा है। भारत ने सिद्धान्त के तौर पर सी आई एफ की निधियां लेने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है बशर्ते इसे कन्वेंशन के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन वित्त प्रवाह का हिस्सा न समझा जाए तथा उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी जीएचजी की किन्हीं भी शर्तों को निधियों से न जोड़ा जाए। न्यास निधि समिति मई 2012 में भारत निवेश योजना में विहित चार परियोजनाओं के लिए 263 मिलियन यूएस+ की प्रथम खेप के के आबंटन को अनुमोदित करती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र और कार्बन बाजार

12.46 दोहा के वित्त संबंधी निष्कर्षों से निराश होकर कई टिप्पण कर्ताओं ने यह चेतावनी दी कि हम जलवायु वित्तकोषीय अवरोध की ओर बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में गैर सरकारी क्षेत्र और पार्श्विक कार्बन बाजारों पर अधिक बल दिया जा रहा है। गैर सरकारी क्षेत्र और कार्बन बाजार जो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, ने भी विशेषत: न्यूनकारी कार्रवाई के क्रम में जलवायु परिवर्तन के लिए वित्त जुटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दीर्घावधि वित्त संबंधी युएनएफ सीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार चालू अन्तर्राष्ट्रीय जलवायु वित्तीय प्रवाह के संबंध में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा 55 बिलियन यूएस+ प्रतिवर्ष जुटाये गए। इसी प्रकार कार्बन बाजार विकासशील देशों को अपने समपोषक प्रयासों की ओर बढ़ने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद करते हैं। सीडीएम-के पी बाजार तंत्र ने विश्व के सबसे बड़े कार्बन बाजार के रूप में ने अब तक विकासशील देशों में निवेश के लिए 215 बिलियन यूएस+ देने में मदद की है। (सीडीएम नीति वार्ता रिपोर्ट)। भारत सीडीएम में एक सक्रिय देश रहा है तथा 2000 से अधिक परियोजनाओं को मेजबान देश का अनुमोदन मिल चुका है तथा यदि सभी परियोजनाएं दर्ज कर ली जाती है तो वर्ष 2012 तक लगभग 7.07 बिलियन यूएस+ के समग्र प्रवाह को सुकर बनाया जा सकेगा।

12.47 साथ ही इन दोनों स्रोतों की, पूर्वानुमान और कोष की पर्याप्तता की शर्तों के अनुसार गंभीर कमियां हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह कठिनतर मुद्दों पर सेवा सपुर्दगी नहीं कर पाएंगे: इक्विटी, सार्वजनिक वस्तुएं और अनुकूलन जैसे कि कृषि में जलवायु का लचीलापन अथवा पिछड़े क्षेत्रों के लिए ऑफ ग्रिड वितरित नवीनीकरण/वे बाजारोन्मुखी वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे जैसे कि ग्रिड आधारित सौलर और पवन ऊर्जा, जहां एक या अन्य रूप में सार्वजनिक, आर्थिक सहायता की मांग होगी। इसके अलावा गैर सरकारी क्षेत्र के निवेश में जोखिम भी होता है। इस कारण से गैर सरकारी क्षेत्र का झुकाव न्यूनकारी परियोजनाओं की तरफ होता है। गैर-सरकारी क्षेत्र की कम भागेदारी के कारण वित्त अनुकूलन सभी विकासशील देशों का सरोकार रहा है क्यांकि अनुकूल के संबंध में निवेश करने पर प्राय: लाभ प्राप्त नहीं होते। दूसरी और कार्बन बाजार परिवर्तनशील है जहां सफलता राष्ट्रों के सामूहिक न्यूनकारी उद्देश्य पर निर्भर है। केपीके प्रथम चरण में सीडीएम बाजार के गिरने के साथ साथ पिछले वर्ष में ही कार्बन की कीमतों में लगभग 70% गिरावट आई। इसके अलावा भारत जैसे मुख्य विकासशील देशों द्वारा कार्बन क्रेडिट पर ईयू जैसे कुछ मुख्य कार्बन बाजारों में प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए एक प्रतिपक्षीय प्रतिबंधों से भी मामले का हल नहीं निकला। कार्बन क्रेडिट की कीमते गिरी ही रहेंगे जब तक पार्श्विक उद्देश्यों में सुधार नहीं होता और शपथ आधारित उत्सर्जनों पर कार्य करने के लिए नए बाजार तंत्र उभरकर सामने नहीं आते। कार्बन बाजार और गैर सरकारी निवेश दोनों को लोकनीतियों में लक्ष्यपरक मंजूरी की आवश्यकता है ताकि उनका विरोध करने वाले संस्थागत तथा बाजार की अड़चनों को दूर किया जा सके।

चुनौतियां ओर दृष्किोण

12.48 यद्यपि समपोषक विकास ओर जलवायु परिवर्तन संबंधी बहुपक्षीय प्रयासों से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, अभी भी कुछ चिन्ता के क्षेत्र हैं जहां भविष्य की वार्ताओं में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। भारत के दृष्टिकोण से कुछ चुनौतियां और सुपुर्द किए जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं: रिपो+20 परिणामी दस्तावेज पर अनुवर्ती कार्रवाई और आगामी कार्रवाई तथा विकासशील एसडीजी पर चार परिक्रियाएं/तंत्र तथा वित्तपोषण रणनीति और प्रौद्योगिकी अन्तरण की प्रक्रिया। दोहा में जलवायु परिवर्तन परिचर्या को आगे बढ़ाते हुए मुख्य मुद्दा जिसका निवारण किया जाना है, वह इक्विटी को विकसित व्यवस्था को वितरित करना जो कि वर्ष 2020 के बाद की अवधि के संबंधों में सभी पर लागू होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू लक्ष्यों का राष्ट्रीय स्तर निर्धारण किया जाता रहे चाहे हम सीबीडीआर और संबंधित क्षमता के सिद्धांत के अनुसार पार्श्विक प्रयासों में योगदान देते है।

12.49 हमें आईसीएओ अथवा आईएमओ जैसे संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए जाने वाले एक पक्षीय उपायों और अथवा उनके द्वारा की जाने वाली पहलों की संभावनों को समाप्त करते हुए इस तरह की कार्रवाईयों के लिए हमें क्षेत्रीय ढांचे के संबंध में हमें ठोस निर्णय लेने चाहिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण है

इक्विटी सामान भार वहन करना तथा पार्श्विक वातावरण संसाधनों के प्रति साम्यता का संरक्षण किया जाना और इसका एडीपी के अन्तर्गत पर्याप्त रूप से निवारण किया जाना है। विकसित देशों द्वारा दीर्घावधि वित्त प्रदान करने वाले स्रोत और चैनलों की, अभी तक स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की गई है। आने वाले वर्षों में वित्तपोषण की निश्चितता न होने के कारण यह अति आवश्यक है कि यथाशीघ्र वित्त जुटाया जाए और सीसीएफ को इसके कार्यों के लिए शुरुआती पूंजी मुहैया करवाई जाए।

12.50 महत्वपूर्ण उत्सर्जनों और जिम्मेवारियों के आधार पर विकसित देशों को इस दिशा में अग्रणी होना चाहिए। स्टॉक होम पर्यावरण संस्थान द्वारा जून 2011 के अध्ययन के अनुसार कंक़न करार के अंतर्गत एनैक्स और गैर एनैक्स संकल्प की तुलना - विकासशील देश विकसित देशों की बजाए अपने जीएचजी उत्सर्जनों में अधिक कटौती का संकलप ले रहे हैं। भारत भी इस बारे में पूर्व सक्रिया है तथा यह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में अपने उद्देश्य और लक्ष्य को दृढ़ता से रख रहा है। इस बारे में सही तरीके से विचार व्यक्त किया जा सकता है कि पर्यावरणीय सम्पोषकता संबंधी बारहवी योजना के केन्द्र बिन्दु के साथ भारत सही राह पर समर्थकारी पर्यावरण के साथ चल रहा है और इसने इस दिशा में कई प्रगतियां हासिल की हैं। तथापि भारत के सामने जो चुनौती आ रही है वह है मुख्य प्रेरकों और विकास समर्थकों की पहचान करना चाहे वह आधारभूत संरचना, परिवहन, आवास अथवा संपोषक कृषि का क्षेत्र हो तथा इन क्षेत्रों का संपोषक विकास करना। यह हमें अगले और महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ले जाता है वह है अत्यधिक पर्यावरणीय सम्पोषकता के साथ आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए और अतिरिक्त संसाधनों को ढूंढना और बढ़ावा देना। प्राय: यह संसाधन का हिस्सा है जो कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए अड़चन है जबकि यह कीमतों और अन्य नीतिगत अविकारकों को कुशलता से ओर शीघ्रता से अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, भारत इससे भी कुछ अधिक कर सकता है यदि बहुपक्षीय परिक्रियाओं के माध्यम से नया और अतिरिक्त वित्त और प्रौद्योगिकी मुहैया कराया जाता है।

1251. चाहे यह राष्ट्रीय हो अथवा पार्श्विक हो, पर्यावरण के स्तर में गिरावट और ग्लोबल वार्मिंग दशाब्दियों और शताब्दियों में धीरे-धीरे समय के साथ-साथ बढ़ती रहती है। हमें यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि इस समस्या से निबटने और इसका निवारण करने के लिए पार्श्विक कार्रवाई किए जाने का सही वक्त आ गया है। यह कार्रवाई सभी देशों के लिए निष्पादन और एक समान होनी चाहिए ताकि वह भविष्य, जो हम चाहते हैं वह ऐसा भविष्य होना चाहिए जिसमें सभी के सम्पोषक विकास के लिए पर्यावरणीय और आर्थिक स्थान हो।